न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 93 / 2022 अपील (GCMS 2022/108)
पंजीयन दिनांक– 14 / 11 / 2022
निर्णय दिनांक– 26 / 05 / 2026

सुरेश पिता दला भील, निवासी हुण्डला, आम्बा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

1. भीमचन्द पिता थावरा भील, निवासी हुण्डला, आम्बा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2. राजुदेवी पत्नी भीमचन्द भील, निवासी हुण्डला, आम्बा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झाड़ोल, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद दाणी – वकील अपीलांट
2. श्री संजय सोनी – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 01 / 2021 निर्णय दिनांक 11.03.2022

<u>निर्णय</u>

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 01 / 2021 निर्णय दिनांक 11.03.2022 के विरुद्ध पेश की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हुण्डला, तहसील झाड़ोल की आराजी नम्बर 461 मी. रकबा 0.3800 हैक्टयर का दिनांक 18.06.2002 को भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 भीम चन्द एवं राजु देवी को राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत किया। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 11.03.2022 को अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर किये गये भूमि आवंटन को बहाल रखा गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम धारा 05 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अवगत कराया कि रेस्पोडेंट भीमचंद द्वारा अपीलांट को धमकाते हुए केस खारिज होना बताया जिससे अपीलांट द्वारा अपने वकील से सम्पर्क कर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की जाकर दिनांक 11.03.2022 से दिनांक 07.11.2022 की अवधि को क्षम्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने गुणावगुण पर अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि आवंटित भूमि पर अपीलांट व उसके पिता का 30–35 सालों से कब्जा है एवं इस पर मकान भी बना रखा है। अपीलांट का कब्जा होने से धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस भी अपीलांट को दिया गया परन्तु मौके से बेदखल नहीं किया गया। रेस्पोडेंट को विधिक प्रक्रिया के विपरीत नियम 5, 7 एवं 9 की पालना किये बगैर ही भूमि आवंटन कर दी गई। कोई उद्घोषणा भी जारी नहीं की गई न ही अपीलांट के कब्जे के बिन्दु पर विचार किया है। यह भी बताया कि रेस्पोडेंट भूमिहीन कृषक नहीं है उसके पास दूसरी भूमि भी है नकलें भी पेश की परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख

संभागीय आयुक्त न्यायालय उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

पर आये सभी तथ्यों, दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांत को नज़र अन्दाज कर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि रेस्पोडेंट भूमि आवंटन के दिन भूमिहीन काश्तकार था। अपीलांट के पास पूर्व से ही बहुत भूमि है सिर्फ रेस्पोडेंट को परेशान करने की गर्ज से वह कार्यवाही कर रहा है। रेस्पोडेंट को विधिवत भूमि का आवंटन किया गया है। कब्जा सिपुर्द किया गया है। रेस्पोडेंट ने काफी पैसा लगाकर भूमि समतल कर काश्त योग्य बनाया है। रेस्पोडेंट द्वारा लगातार भूमि पर काश्त की जा रही है। अपीलांट का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी भूमि आवंटन/नियमन किये जाने की नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुसार ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट्स को कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत 18.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा बताते हुए लगभग 20 वर्ष उपरान्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रस्तुत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रार्थना पत्र के दिनांक 11.03.2022 को निरस्त किए जाने पर यह अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट्स को किए गए आवंटन के 20 वर्षों पश्चात अपीलान्ट द्वारा आक्षेपित किया जाना तथा मात्र स्वयं के कब्जे का मौखिक कथन एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस कारण

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.03.2022 में यह भी स्थापित किया है कि आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत सम्पन्न हुई तथा तत्समय अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं की गई। आवंटी के स्तर पर आवंटन शर्तों की अवहेलना संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो जाने से बिना किसी समुचित आधार के खातेदार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस'' आवंटन में प्रथम दृष्ट्या कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से सारहीन पाते हुए निरस्त किया गया।

वर्तमान अपील में भी अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में कोई अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य सुबूत नहीं पेश कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कथनों को ही आधार बनाया है जो उसकी मदद नहीं करते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः मयाद बाहर प्रस्तुत अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.03.2022 यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर